भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4591

उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

अल्पसंख्यक आयोग को सशक्त बनाने का प्रस्ताव

4591. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया है या ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना एनसीएम अधिनियम, 1992 के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और यह अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त है। एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है:-

(i) संघ और राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ii) संविधान और संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें करना;

(iv) अल्पसंख्यकों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(v) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निवारण हेतु उपाय सुझाना;

(vi) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना;

(vii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में किए जा सकने वाले उपयुक्त उपायों का सुझाव देना;

(viii) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केंद्र सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट देना; और

(ix) कोई अन्य मामला, जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा जा सकता है।

इसके अलावा, एनसीएम अधिनियम की धारा 9(4) के अनुसार, आयोग को उपरोक्त (i), (ii) और (iv) में सूचीबद्ध किसी भी कार्य को करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, विशेष रूप से, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:-

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ दिलाकर उसकी जांच करना;

(ii) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(iii) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करना;

(v) गवाहों और दस्तावेजों की जाँच के लिए आदेश जारी करना; और

(vi) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

इसे संवैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****